7/8/18

पत्रावली प्रार्थी अमिताभ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी बाबत् संशोधित डिक्री जारी किये जानें पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया है कि प्रकरण में में ख0नं0 1433 का रकबा सहवन से 0.95 हे0 दर्ज हो गया, जबकि उक्त ख0नं0 का रकबा बैचान पश्चात् 0.31 हे0 शेष रहा है, उक्त त्रुटि लिपिकिय होने से उक्त संशोधन किया जाना न्यायोचत है। अन्त में प्रार्थना की है कि संशोधित डिक्री जारी करते हुए ख0नं0 1433 का रकबा 0.95 हे0 के स्थान पर 0.31 हे0 दर्ज किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी का अवलोकन किया, जिससे जाहिर आया कि राधेश्याम द्वारा पूर्व में दो बार 0.64 हे0, 0.64 हे0 भूमि का बैचान किया गया है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में भी हो रहा है।

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह जो किस हुक्म की तामील में जारी हु
	राधेश्याम के हिस्से में वर्तमान में ख0नं0 1433 की 0.31 हे0 भूमि शेष रही है। पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री में ख0नं0 1433 का रकबा सहवंन से 0.95 हे0 दर्ज हो गया, जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि दिनांक 23.06. 2018 को पारित निर्णय में ख0नं0 1433 का रकबा 0.95 हे0 के स्थान पर 0.31 हे0 पढा जावें। तद्नुसार संशोधित डिक्री जारी हो।	

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा

उनवान

अमिताभ पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा

1. मनोज पुत्र राधेश्याम — वादी
2. राममूर्ति वेवा राधेश्याम जाति मीना निवासीगण तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा — प्रतिवादीगण

बनाम

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट
मिसल नम्बर– 59/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम तोरण तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 110 रकबा 2.91 हे0 भूमि में राधेश्याम के हिस्से 3/5 में एवं ग्राम तोरण स्थित ख0नं0 1433 रकबा 0.31 हे0 भूमि में मृतक राधेश्याम के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 को वहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है।" तदनुसार संशोधित डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 07.08.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बावत इजराय हुक्मनामा	0	0	बावत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner